राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....527/2015..... जिला .....जोधपुर.....

उनवान : मैसर्स शिखा ट्रेडिंग कम्पनी, जोधपुर बनाम स. वा. क. अ., वार्ड–तृतीय, वृत–ई, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
26/05/2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 39/आरवेट/जेयूई/14–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत–ई, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2012–13 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 से सृजित/वसूलनीय मांग राशि रूपये 11,100/– की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 7,000/– की वसूली पर स्थगन स्वीकार करते हुए शेष राशि पर स्थगन से इंकार किया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री पी. एम. चौपड़ा व श्री एस. के. आसोपा एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर बिक्री विवरण प्रपत्र वैट–10/10ए विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर धारा 21 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। जबकि वेट नियम 48 के तहत कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना बाध्यकारी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी बिना कोई कारण अंकित किये आंशिक राशि का स्थगन स्वीकार करते हुए शेष राशि का स्थगन अस्वीकार किये जाने में त्रुटि की गयी है। अतः प्रकरण में शेष वसूली योग्य राशि पर स्थगन आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।	

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....527 / 2015..... जिला .....जोधपुर.....

उनवान : मैसर्स शिखा ट्रेडिंग कम्पनी, जोधपुर बनाम स. वा. क. अ., वार्ड–तृतीय, वृत–ई, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26 / 05 / 2015	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में अवशेष बकाया शेष राशि **रूपये 4,100 /–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	